न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 167/2025 G.C.M.S. No. 2025/669 दर्ज दिनांकः 13.10.2025

अपीलार्थिगणः

मंगलाराम पुत्र खेताराम, जाति सुथार, निवासी खरल, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. जोराराम पुत्र दूदाराम, जाति मेघवाल, निवासी बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सायला, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2025 बअनवान जोराराम बनाम मंगलाराम में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025

पैरोकारः–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2025 बअनवान जोराराम बनाम मंगलाराम में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251–क के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खरल पटवार हल्का ओटवाला तह. सायला के वर्तमान खसरा नम्बर–287 रकबा–1.2700 हैक्टर किस्म चाही सोयम का खातेदार हूँ। उक्त आराजी मे आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी अपनी आराजी मे पहुंचने के प्रयोजन के लिये अप्रार्थी मंगलाराम पुत्र खेताराम जाति सुथार निवासी खरल तहसील सायला जिला जालोर की आराजी सरहद मौजा खरल पटवार हल्का ओटवाला तहसील सायला के वर्तमान खसरा नम्बर–286 रकबा–1.2000 हैक्टर किस्म चाही सोयम मे मार्ग (रास्ता) हेतु पेश किया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मौजा खरल पटवार हल्का ओटवाला तहसील सायला के वर्तमान खसरा नं.–287 मे आने–जाने (आवागमन) हेतु मौजा खरल पटवार हल्का ओटवाला तहसील सायला के वर्तमान खसरा नम्बर–286 मे से नक्शा परिशिष्ट–अ मे दर्शित अनुसार उक्त 20 फीट चौडा रास्ता खोलने का आदेश फरमावे। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता

दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आदेशित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आदेशित रासते को करीब 20 फीट चौडाई मे रिकॉर्ड मे दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर–287 मौजा खरल रकबा 1.2700 हैक्टर जिससे लगता हुआ खसरा नं.–281 आया हुआ है जो आबादी क्षेत्र है उसमे स्कूल, अस्पताल व मकान बने हुऐ है इन आबादी क्षेत्र के खसरा नं.–281 मे होते हुऐ रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर–287 मे आवागमन करता है उक्त खसरा का पूर्व खातेदार भी इसी रास्ते से आवागमन करता था। आबादी खसरा नं. 281 जिसका हवाला अधीनस्थ न्यायालय मे बनी मौका रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 281 आबादी क्षेत्र होना बताया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट जोराराम को रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलान्ट के खसरा नम्बर 286 मे से गलत रूप से रास्ते की मांग की है। रेस्पोडेन्ट के पूर्व खातेदार भी खसरा नम्बर 281 आबादी का खसरा मे से आव जाव करते थे इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने बगैर जांच किये आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के अधिवक्ता ने 19.08.2025 को वकालतनामा पेश किया एवं पत्रावली वास्ते जबाव व इन्तजार मौका जांच मे दिनांक 27.08.2025 को रखी गई। दिनांक 04.09.2025 को मौका रिपोर्ट पेश हुई व पत्रावली दिनांक 17.09.2025 को अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जबाव एवं मौके के फोटोग्राफ एवं पैन ड्राईव एवं पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र एवं दिनांक 06.08.2025 की मौका रिपोर्ट मे मौतबिर हनवन्तसिंह का शपथ–पत्र भी जबाव के साथ प्रस्तुत किया था परन्तु उक्त जबाव एवं अन्य दस्तावेज एवं शपथ–पत्र रेकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है नहीं होने का कोई कारण अपीलान्ट को ज्ञात नहीं हुआ है अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उक्त जबाव प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेज, फोटोग्राफ, शपथ–पत्र आदि प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु रेस्पोडेन्ट को फायदा देने की नियत से पत्रावली मे नहीं लिये गये, न्यायालय पर आक्षेप नहीं लगाते हुऐ यह लिखना भी उचित है कि किस कारण से अपीलान्ट का जबाव रेकॉर्ड पर नहीं आया है परन्तु अपीलान्ट ने जबाव प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज एवं शपथ–पत्र दिनांक 17.09.2025 को प्रस्तुत कर दिया था दिनांक 09.10.2025 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा 17.09.2025 के बाद की पेशीया लेने जाने पर पता चला कि 17.09.2025 की आदेशिका मे अन्तिम अवसर लिख दिनांक 24.09.2025 को जबाव बन्द कर दिया। जबकि हकिकत मे 16.09.2025 से 16.10.2025 तक से राजस्व अधिकारी केम्पो के केम्प चल रहे है जो केम्पो मे व्यस्त होने से तारीखे नहीं दी जा रही थी एवं दिनांक 24.09.2025 को अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय मे गये तब पता चला कि अधिकारी कैम्प मे है फिर भी दिनांक 24.09.2025 को जबाव बन्द कर दिया जबकि 24.09.2025 की कॉजलिस्ट का अवलोकन किया जाये तो 24.09.2025 के आगे तारीख नहीं दी गई है मोबाईल से कॉजलिस्ट की फोटो 09.10.2025 को खेची गई है जिसमे 24.09.2025 के आगे तारीख ही अंकित नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय केम्पो मे व्यस्त होने के बाजवूद भी दिनांक 24.09.2025 को अपीलान्ट का जबाव बन्द कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.09.2025 को न्यायालय मे जबाव दे दिया गया था जो किसी कारणवश रेकॉर्ड पर नहीं है जबाव व दस्तावेज व शपथ–पत्र प्रस्तुत किये थे

उसकी फोटो प्रति जो अपीलान्ट के अधिवक्ता के कार्यालय की प्रतिलिपी है उसे अपील के साथ प्रस्तुत की जा रहीं है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि दिनांक 03.10.2025 को शुक्रवार था अपीलान्ट के अधिवक्ता हर बुधवार को ही सायला मे आते है एवं प्रत्येक तारीखे बुधवार मे पडी है एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता की सासू का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2025 को रात्री मे हो गया था एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता दिनांक 03.10.2025 को जोधपुर मे थे फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष उपस्थित बताते हऐ बहस सुनी गई लिखते हुऐ आदेश पारित किया है जो हर सुरत मे निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि रेस्पोडेन्ट जोराराम के नाम से व्यक्ति द्वारा खसरा नम्बर–287 खरीद कर उसे कनर्वट कर आबादी के प्लॉट काटने हेतु जमीन ली है एवं उसका प्लान भी बना रखा है जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाव के साथ लगा दिया था परन्तु वह रेकॉर्ड पर नहीं है अपीलान्ट जबाव की कॉपी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है। यह कि मौका रिपोर्ट दिनांक 06.08.2025 को बनायी गई उसमे समस्त पक्षकारो को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 04.08.2025 को जारी होना दर्शाया है परन्तु नोटिस कमांक अंकित नहीं है तथा न ही पक्षकारो के हस्ताक्षर है मौका रिपोर्ट पर भी किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा पक्षकारों के नाम पते आदि मे मंगलाराम पुत्र खेताराम का नाम मात्र दर्ज है मंगलाराम के कही हस्ताक्षर नहीं है तथा इसी मौका रिपोर्ट मे यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर–287 से लगती हुई आबादी क्षेत्र है जिसके खसरा नम्बर–281 है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खसरे से लगता हुआ आबादी का खसरा 281 है जिसमे से रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी आवजाव करता है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट के द्वितीय पेज पर भी अप्रार्थी मंगलाराम का नाम दर्ज किया है परन्तु उसके हस्ताक्षर नहीं है न हीं मंगलाराम को हस्ताक्षर हेतु बुलाया गया है तथा मौका मौतबिर के रूप मे हनवन्तसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत निवासी खरल के हस्ताक्षर करवाये है परन्तु हनवन्तसिंह कभी मौके पर गया ही नहीं हनवन्तसिंह का खेत खरल के मुख्य सडक पर आया हुआ है वहा पर पटवारी ने जाकर हस्ताक्षर करवाये थे इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जबाव रेकॉर्ड पर नहीं लिया जाकर एवं दिनांक 24.09.2025 को पिठासीन अधिकारी कैम्पो मे थे एवं दिनांक 24.09.2025 की कॉजलिस्ट मे आगे तारीख भी नहीं दी गई एवं दिनांक 24.09.2025 व 17.09.2025 व 03.10.2025 की आदेशिकाऐं एक साथ लिखकर बगैर अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति गलत रूप से दर्शाते हुऐ दिनांक 03.10.2025 को किया गया आदेश/निर्णय हर सूरत मे निरस्त किये जाने योग्य है। उभय पक्षकारान की जिरह सुनी गई, प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्य दौराये इसी का हवाला है अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस क्या तर्क दी उसका कोई हवाला अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट की भूमि द जालोर सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा सायला के यहा रहन का नोट जमाबंदी मे लगा होने के बावजूद भी बैंक को पक्षकार बनाये बगैर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह भी वर्णित किया गया है

कि प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है अन्य कोई विकल्प नहीं है जबकि फर्द मौका मे मौजा खरल के खसरा नं.–281 आबादी होना दर्शाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.10.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं पत्रावली को रिमाण्ड कर अपीलान्ट का जबाव व दस्तावेज रेकॉर्ड पर लेकर सुनवाई की जाकर पुनः निर्णय करने के आदेश पारित करावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सरहद मौजा खरल पटवार हल्का ओटवाला तहसील सायला के खसरा नम्बर 287 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलण्ट्स की आराजी खसरा नम्बर 286 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.10.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 286 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम खरल तहसील सायला की आराजी खसरा संख्या 287 तक पहुच मार्ग हेतु खसरा संख्या 286 में से नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने की मांग की गयी। प्रकरण में अप्रार्थी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.08.2025 को वकालतनामा पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2025 को जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद करते हुए दिनांक 03.10.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ।
3. प्रकरण में भु.अ.नि सायला द्वारा दिनांक 06.08.2025 को तैयार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की मांग के अनुरूप मुताबिक नक्शा शेड्युल खसरा संख्या 286 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया तथा अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया, तथा न ही अन्य विकल्प के संबंध में कोई जांच की गयी। अपीलांट की आपत्ति भू नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 281 से लगते हुए स्थित हैं तथा खसरा संख्या 281 गैर मुमकिन आबादी है। अतः आबादी भूमि में से प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग विकल्प संभव हो सकता है। इसके संबंध में अपीलांट द्वारा भी उज्र लिया गया है लेकिन भू अ नि द्वारा इस संबंध में कोई जांच व टिपण्णी नहीं की गयी है। लिहाजा भू अ नि की रिपोर्ट से न तो रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता स्पष्ट हो रही है एवं नहीं निकटतम दूरी के विकल्प के संबंध में पूर्ण स्पष्टता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी

उक्त अस्पष्ट जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2025 बअनवान जोराराम बनाम मंगलाराम में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में अपीलांट को जवाब एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली